

उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या-क0नि0-2-1821/ग्यारह-9(104)/15-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(148)-2015
लखनऊ: दिनांक: 14 दिसम्बर, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची-दो में दिनांक 15 दिसम्बर, 2015 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

उक्त अनुसूची-दो में, भाग-ख में कम संख्या 28 की प्रविष्टि में, अर्द्धविराम और शब्द " ; रुपये दस हजार से अनधिक खुदरा मूल्य तक के सेलफोन के साथ पैकड एसेसरीज " अन्त में बढ़ा दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

(हरेन्द्र वीर सिंह)
विशेष सचिव।